न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 44/2024 G.C.M.S. No. 2024/182 पत्रावली दिनांक : 26.06.2024

अपीलार्थी:

1. राहुलसिंह पुत्र पर्वतसिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी चामुण्डेरी राणावतान, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 293/2023 बअनवान राहुलसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.03.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 29.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 293/2023 बअनवान राहुलसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ते हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया की चामुण्डेरी राणावतान के खसरा नम्बर 1961/3064, रकबा 0.7500 हैक्टर की भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त करने बाबत पेश किया, जिसे पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई तत्पश्चात प्रकरण में पक्षकार की बहस सुनकर आदेश पारित किया जाकर अपीलाण्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए को खारिज किया गया जिस पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्शा जो प्रस्तुत शुदा जिसको देखने मात्र से ही अपीलांट के खसरा नम्बर 1961/3064 में आवागमन हेतु एकमात्र विकल्प खसरा नम्बर 1951 है इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं, साथ ही इस खसरा में कोई वृक्ष इत्यादि या अन्य कोई नुकसान भी नहीं हैं एवं स्वयं न्यायालय ने यह माना है कि यही खसरा नम्बर 1951 एकमात्र आवागमन का रास्ता है, जिसमे आने–जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

हेतु रोका नही जाता है। ऐसी स्थिति मे रास्ता प्रदान नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। खसरा नम्बर 1961/3064 के पास के खसरा नम्बर 1959, 1955, 1961 इत्यादि राजकीय खसरे है तथा खसरा नम्बर 1964 मे रास्ते तक जाने हेतु चाहा गया मार्ग ही उपलब्ध हो सकता है ऐसी स्थिति मे बिना इन तथ्यों पर गौर किये तथा पत्रावली पर आई मौका रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए तथा उसके विपरीत जाकर केवल मात्र आदेशिका के जरिये आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति हेतु तलब की गई जो मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार आवागमन हेतु निर्विवाद रूप से चाहा गया रास्ता ही एकमात्र विकल्प उपयोग–उपभोग के रूप मे रहता है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता दर्शाया नहीं गया है और न ही पत्रावली पर ऐसी कोई स्थिति आई हैं, बावजूद इसके भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना इस विधिक स्थिति की ओर गौर किये मनमाना आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि उक्त पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अलग से कोई आदेश इस बाबत पारित नहीं किया है। बल्कि केवल मात्र आदेशिका में ही आदेश पारित कर दिया गया है यानि की केवल मात्र कुछ लाईनों की आदेशिका लिखकर उसको अंतिम आदेश का रूप दे दिया गया है, जो कि कानूनी रूप से स्पीकिंग आदेश किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता है। अपीलांट की ओर से जो अंतिम बहस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई थीं, उसका न तो कोई हवाला दिया गया और न ही उक्त आदेश में कोई उल्लेख अथवा वर्णन ही किया गया और न ही इस बाबत कोई विवेचन ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही किया गया है। केवल मात्र खानापूर्ति करने के उदेश्य से मात्र आदेशिका पारित कर अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जोकि विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.03.2024 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 26.06.2024 को एक माह के विलंब के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि प्रार्थी गंभीर रूप से पीलियाग्रस्त होकर लंबे समय तक इलाजरत रहा तथा अधिवक्ता से संपर्क भी नहीं हो पाया। जिस कारण अपीलांट अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं दी गई। विलंब जानबूझकर नहीं किया गया। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा गुणावगुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट की लापरवाही से नहीं होकर सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा ग्राम चामुण्डेरी राणावतान में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/3064 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 1951 में से रास्ते की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक रास्ते की उपलब्धता का अभाव अंकित किया गया है तथा खसरा संख्या 1951 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने के बिंदु पर खारिज किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम चामुण्डेरी के भू–नक्शा एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु कोई अभिलिखित पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में रास्ते की मांग में सुविधा के आधार पर नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यकता पर आधारित है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में वस्तुतः कानूनन भूल की हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 293/2023 बजनवान राहुलसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.03.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.02.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner